कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य-03/2024 दिनांक 07/03//2024

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,

वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0।

अपने पत्र संख्याःवीजेड-सोशल मीडिया-(18)/2020/10720,दिनांकःजून 04,2020 व पत्र संख्याः41/6-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो पुलिस विभाग एवं उसके अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 06.03.2024** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

1. 'श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान "OPERATION CONVICTION" के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 04 नफर अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए दी गयी सजा '

दिनांक 06.03.2024 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना शादियाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 465/2016 धारा 498ए, 304बी,342 विकल्प में 302/34 भादवि व 3/4 DP Act से सम्बन्धित प्रकरण में 04 नफर अभियुक्तगण (01) नसीम अंसारी पुत्र मंसूर अंसारी (02) मंसूर अंसारी पुत्र सफी अंसारी (03) गुलशन बेगम पुत्री मंसूर अंसारी (04) ताहिरा बेगम पत्नी मंसूर अंसारी निवासीगण हंसराजपुर थाना शादियाबाद जनपद गाजीपुर के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्तगण उपरोक्त को धारा 304B भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास, धारा 498ए भादवि में 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000 रुपये के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का सश्रम कारावास, धारा 4 डीपी एक्ट में 01 वर्ष का सश्रम कारवास व 2000 रूपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिवस का अतिरक्त सश्रम कारावास तथा 342 भदवि में 06 माह के सश्रम कारावास से दण्डित किया गया।

पुलिस अधीक्षक